ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
SECRETARIAT

NOTIFICATION

Port Blair, dated the 4th June, 2003.

No. 84/2003/F.No. 48-739/2002-SW.—In exercise of the powers conferred by section 36 of "The Advocates' Welfare Fund Act, 2001" (Act No. 45 of 2001) read with Notification No. U-11030/1/2001-UTL dated 25-10-2001 of the Government of India, Ministry of Home Affairs, Lieutenant Governor (Administrator), Andaman & Nicobar Islands is hereby pleased to make the following rules, namely :—

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT : (1) These rules may be called "The Andaman & Nicobar Advocates' Fund Welfare Rules, 2003."

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. DEFINITIONS : In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Act" means the Advocates' Welfare Fund Act, 2001 (45 of 2001).
(b) "Secretary" means the Secretary of the Trustee Committee.
(c) "Section" means a section of the Act.
(d) Words and expressions used in these rules, but not defined therein, shall have the same meanings as are assigned to them under the Act.

3. CREDIT TO FUND : (1) The Secretary shall collect all sums specified in sub-section (2) of section 3 and deposit the same in the Bank Account of the Trustee Committee in a scheduled bank forthwith.

(2) Separate accounts shall be maintained for the sums received under each of clauses (a) to (j) of sub section (2) of section 3.

4. OFFICE : The office of the Trustee Committee shall be at Port Blair as may be notified by the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands.

5. ANNUAL STATEMENT OF ACCOUNTS : The Trustee Committee shall prepare annual statement of income and expenditure in Form I

6. PREPARATION OF BUDGET ESTIMATE : The Secretary shall prepare budget estimates of income and expenditure for the coming year, which shall be placed before the Trustee Committee for approval before the 31st March every year.

7. ADMINISTRATIVE EXPENDITURE, PAYMENTS AND INVESTMENTS : All administrative expenditure, payments and investments shall be approved by the Trustee Committee. An expenditure or payment of a contingent nature may be sanctioned by the Chairperson up to twenty thousand rupees and by the Secretary up to ten thousand rupees, which shall be placed before the Trustee Committee for ratification at its next meeting.

8. ANNUAL REPORT : The Trustee Committee shall prepare an annual report for financial year before the end of 30th June of the following year in Form 'I'. An authenticated copy of annual report shall be submitted to the Andaman and Nicobar Administration within next 15 days.

9. MEETINGS : (1) The date and time for a meeting of the Trustee Committee shall be fixed by the Secretary with the prior approval of the Chairperson and the Secretary shall give seven clear days' notice to the members.

(2) In case of urgency, the Chairperson can convene a meeting of the Trustee Committee at a short notice.

(3) An agenda for every meeting of the Trustee Committee shall be prepared by the Secretary with the approval of the Chairperson and shall be circulated to the Members.

(4) The quorum necessary the transaction of business at a meeting of the Trustee Committee shall be Three Members.

(5) When a meeting has been adjourned for lack of quorum, the business which would have been brought before the original meeting if there had been a quorum present thereat, shall be brought before, and may be transacted at an adjourned meeting.

(6) The Chairperson or in his absence such other member present as is decided by the Trustee Committee shall preside at every meeting of the Trustee Committee.

(7) All matters brought before any meeting of the Trustee Committee shall be decided by a majority of the votes of the members present and voting.

(8) The Chairperson or the person presiding over a meeting shall have and exercise a second or a casting vote in all cases of equality of votes.

(9) It shall be open to any Member to raise any matter not included in the agenda with the permission of the Chairperson.

(10) The minutes of the meeting shall be recorded by the Secretary and circulated tothe Members, as early as possible, after approval by the Chairperson.

(11) At the next meeting of the Trustee Committee, the approved minutes of the previous meeting shall be read and confirmed.

(12) Meetings of the Trustee Committee shall ordinarily be held at its office.

10. MAINTENANCE OF RECORDS AND REGISTERS BY TRUSTEE COMMITTEE : (1) The Secretary shall maintain the following :

(i) Register of meetings of the Trustee Committee and minutes of such meetings;
(ii) Register of the sums paid to the Fund under separate heads specified in sub section (2) of section (3);
(iii) Register of all sums collected under separate heads under section 18;
(iv) Register of members of the Fund;
(v) Register of payments to members of the Fund, their dependents, nominees and legal heirs under separate heads;
(vi) Register of members of the Fund under suspension;
(vii) Register of members of the Fund who have ceased to practice;
(viii) Register of all enquiries made by the Trustee Committee;
(ix) Register of the staff appointed by the Trustee Committee;
(x) Day Book;
(xi) Ledger;
(xii) Cash Book;
(xiii) Receipt Book with inner foil;
(xiv) Voucher file;
(xv) All Forms hereby prescribed;
(xvi) Record of all forms, applications and other documents received;
(xvii) Records of all correspondence and other business transacted by the Trustee Committee;
(xviii) Other registers, files and records as may be required.

(2) Registers, etc. shall be maintained in the format as laid down by the Trustee Committee in consultation with the Chartered Accountant appointed under sub section (2) of section 13.

11. APPLICATION FOR RECOGNITION OF AN ASSOCIATION OF ADVOCATES : An association of advocates functioning in any court, tribunal or other authority shall apply for recognition to the State Bar Council, under sub section (1) or sub section (2) of section 16, in Form III.

12. RECOGNITION : (1) The State Bar Council may issue a certificate of recognition in Form IV, after such enquiry as it deems necessary, on the application made under rule 11.

(2) The State Bar Council may recognize more than one association of advocates functioning at a particular court, tribunal or other authority.

(3) The State Bar Council shall prepare a list of recognized associations of advocates and update the same from time to time.

13. APPLICATION FOR MEMBERSHIP OF FUND : (1) An advocate shall apply for admission as a member of the Fund, under sub section (1) or sub section (2) of Section 18 in Form V.

(2) An advocate having membership in more than one association of advocates shall so apply from any one of them.

(3) Any member of the Fund, who fails to pay the annual subscription for any year before the 31st day of March of that year, shall be liable to be removed from the membership of the Fund.

14. APPLICATION FOR RE-ADMISSION AS A MEMBER OF FUND : An advocate shall apply for re-admission as a member of the Fund, under sub section (7) of Section 18 in Form VI.

15. CERTIFICATE OF MEMBERSHIP: The Trustee Committee shall issue a Certificate of membership in Form VII.

16. REDUCTION OF AMOUNT ON FAILURE TO INTIMATE REMOVAL OR SUSPENSION: (1) Every member of the Fund shall, within fifteen days of his removal from the State roll under section 26 A of the Advocates Act, 1961 or suspension of practice, intimate the same to the Trustee Committee.

(2) If a member of the Fund fails to intimate under sub-rule (1), the amount payable to him

under the Act may be reduced, under sub-section (12) of secrion 18, only after conducting a suitable inquiry and the reduction shall not exceed twenty five percent of such amount.

17. CESSATION OF PRACTICE AND PAYMENT : (1) A member of the Fund, his nominee or legal heir, as the case may be, shall intimate to the Trustee Committee as to his cessation of practice, alongwith the necessary proof thereof.

(2) The Trustee Committee shall, after such inquiry as it deems necessary, pay to the claimant, the amount at the rate specified in schedule 1 to the Act, within thirty days of the receipt of the intimation.

18. SCHEMES FOR BENEFITS OF MEMBERS OF THE FUND : The Trustee Committee may introduce schemes for any benefits for the member of the Fund and their dependents, under section 24.

19. DISPOSAL OF CLAIMS : An application claiming ex-gratia grant under section 19 or any benefit under any scheme under section 24, after being satisfied about the genuineness of the claim, shall be disposed of by the Trustee Committee within thirty days of the receipt thereof.

20. APPEAL TO THE STATE BAR COUNCIL : (1) An appeal to the State Bar Council against any decision or order of the Trustee Committee, under section 25, shall be in Form VIII.

(2) The State Bar Council may devise its own procedure for hearing and disposal of an appeal.

(3) An appeal shall be disposed of by the State Bar Council within sixty days from the date of filing thereof.

21. VALUE AND DESIGN OF STAMPS : (1) Stamps shall be printed in the denominations of five rupees and ten rupees.

(2) Every stamp shall have the emblem of the State Bar Council with the inscription of the words "The Bar Council of A&N Islands" "along with the words "Advocates' Welfare Fund Stamp" as well as its value in terms of rupees.

22. ACCOUNTS OF STAMPS : (1) The State Bar Council of the Union Territory shall keep accounts of the stamps in Form IX and also maintain the following :

(i) Register showing the stock of stamps ;

(ii) Register of sale/purchase of stamps ;

(iii) Register showing printing/distribution of stamps ;

(iv) Day Book ;

(v) Ledger ;

(vi) Cash Book ;

(vii) Receipt Book with inner foil;

(viii) Voucher file ;

(ix) Other registers, files and records as may be required.

(2) Registers, etc. shall be maintained in proper format.

23. CANCELLATION OF STAMPS : (1) No vakalatnama requiring a stamp under the rules shall be filed or acted upon in any proceeding in any court, tribunal or other authority until the stamp has been cancelled.

(2) Such officers as the court, tribunal or other authority may, from time to time, appoint, shall, on receiving any such vakalatnama forthwith effect such cancellation by punching out the figure and part removed by punching shall be burnt or mutilated or otherwise destroyed.

FORM—I

(See rule 5)

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH

Income	Rupees	Expenditure	Rupees
Total		Total	

Signature

Name

Designation

(with Seal)

FORM—II

(See rule 8)

Annual Report

Particulars to be reported

(a) Financial Highlights
(b) Range of activities undertaken to promote welfare of members
(c) New assets added during the year
(d) Any other matter(s) may be considered by the "Committee" and approved for reporting in the Annual Report.

Signature

Name

Designation

(with Seal)

FORM—III

(See rule 11)

Application for recognition under Section (1) or Sub-Section (2) of Section 16

1. Name of the Association..

2. Whether registered under the Societies Registration Act, 1860 or other similar Act (Give details)..

3. Name and place of Court, Tribunal, other Authority in which the Association is functioning:..

4. Number of members of the Association at the time of application (list of names, addresses, dates and numbers of enrolment, age of members and their ordinary place of practice) (Supply details by separate Annexure)..........................

5. Names and addresses of the President, Vice-President, Secretary, Treasurer and other Office Bearers at the time of presentation of the application (Supply details by separate Annexure)..............

6. Memorandum of Association. Rules, Regulations and Bye-laws of Association (Annex) copies thereof..........................

DECLARATION

We........................ and.................solemnly affirm that the particulars stated above are true and correct.

Place ....
Date

.... President/Vice President

.... Secretary

(Seal of the Association)

FORM—IV

[See rule 12 (1)]

BAR COUNCIL OF ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

Certificate of Recognition

The Bar Council of A & N Islands do hereby certify that the.......................Association is recognized under Sub-Section (4) of Section 16 of the Advocates' Welfare Fund Act, 2001 and its Recognition No. ....is given under my hand and seal of the Bar Council of A & N Islands dated this the.......................day of ....2003.

(Seal)

FORM—V

(See rule 13 (1)

Application for admission as a member of the Fund under Sub-Section (1) or Sub-Section (2) of Section 18.

The Secretary
Trustee Committee
.... A & N Islands Advocates' Welfare Fund
.... (Office address).

Sir,

I apply for admission as a member of the Fund;

1. Name of applicant (in block letters)..
2. Father's Husband's Name ....
3. Age & Date of Birth (attach proof) ....
4. Address (resident)..
PIN ....Telephone.......................FAX..........................
E-Mail..........................

5. Date of Enrolment as an Advocate and its Number with the Bar Council (attach copy of Enrolment Certificates)

6. Date since practicing as Advocate...

7. Usual Place (s) practice (also give name(s) of Court/Tribunal/other authority) ....

8. Name of the Association of Advocates of which the applicant is a member through which the applicant claims benefit under the Act...

9. Whether practice discontinued for any period and reasons therefor...

10. Whether the applicant is in part/full-time service, if yes, give particulars

11. Name and address of the nominee(s); the amount or share payable to each of the nominees...

12. Name, age and other particulars of dependent...

DECLARATION

(a) I hereby declare that the above particulars are true to my personal knowledge.

(b) I hereby undertake to abide by the provisions of the Act, Rules and directions etc., made thereunder.

I further declare that if any statement of fact stated in this Application is found to be false at any time, my name shall be liable to be struck off as a member of the Fund.

Signature of the Advocate

Dated :

Forwarded with the certificate that the applicant is a member of the Association of Advocates mentioned in column 8 of this Application.

Dated :

President/Vice-President/Secretary
of the Association of Advocates

(Seal of the Association of Advocates)

FORM—VI

(See Rule 14)

Application for re-admission as a member of the Fund under Sub-Section (7) of Section 18

The Secretary

Trustee Committee

.... A & N Islands Advocates, Welfare Fund

(Office Address)

Sir,

I apply for admission as a member of the Fund

1. Name of the applicant (in block letters)...

2. Particulars of admission as a member of the Fund (attach Original Certificate)

3. Reasons for non-payment of the annual subscription...

4. Mode of payment of the arrears and readmission fee ....

DECLARATION

I, ... hereby do solemnly affirm that the particulars furnished above are true and correct.

Place :

Date :

....

Signature of the Applicnat

FORM VII

[See rule 15]

TRUSTEE COMMITTEE

A&N ISLANDS ADVOCATES' WELFARE FUND

Certificate of Membership of the Fund

The Trustee Committee of the A&N Islands Advocates' Welfare fund certify that Mr./Mrs..... .... is admitted to the membership of the A&N Islands Advocates' Welfare Fund under Section 18 of the Advocates' Welfare Fund Act, 2001 and his/her membership No. is... ... .

Given under my hand and seal of the Trustee Committee Dates this the .... day of....................... ....of the year.

(Seal)

Chairperson

FORM VIII

(See rule 20 (1)]

Before the Bar Council of A & N Islands ....

MEMORANDUM OF APPEAL

[Under Section 25 of the Advocates' Welfare Fund Act, 2001

A. W. F. Appeal No ....of........ ....

Between

(Name and Address of the Appellant) .... Appellant

and

Name and address of the Trustee Committee) ....Respondent

1. The appellant files this appeal against the decision/order dated................ ....of the Respondent Trustee Committee.

2. Date of receipt of decision/order

3. Statement of facts

4. Grounds of appeal

5. The appeal is in time

6. The appellant has paid twenty five rupees as fees for the appeal on... ....by ....(mode of payment)

7. Reliefs claimed

Place :

Date :

(Appellant)

I... .... do hereby solemnly affirm that the particulars furnished above are true and correct.

Appellant

( )

Enclosures :

1. Certified copy of the decision/order of the Trustee Committee

2 Proof of payment of twenty five rupees.

FORM IX

(See rule 22)

BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH

Liabilities	Rupees	Assets	Rupees
Total		Total	

Signature
Name
Designation
(With Seal)

Sd/-

(N. N. JHA)
LIEUTENANT GOVERNOR,
Andaman and Nicobar Islands.

By order and in the name of the Lieutenant Governor,

Sd/-
(NG Viswanathan Nair)
Assistant Secretary (SW)

MGPPB—89/Gazette/2003—200 Copies.

अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र

Andaman And Nicobar Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

सं. 89, पोर्ट ब्लेयर, बुधवार, 4 जून, 2003.

No. 89, Port Blair, Wednesday, June 4, 2003

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

सचिवालय

अधिसूचना

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 4 जून, 2003

सं 84/2003/फा. सं 48-739/2002-स.क.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय के दिनांक 25.10.2001 की अधिसूचना सं. यू 11030/1/2001 –यू.टी.एल. के साथ पठित अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001 की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ : (1) इन नियमों को अण्डमान तथा निकोबार अधिवक्ता कल्याण निधि नियम, 2003 कहा जा सकेगा।

(2) ये इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ: इन नियमों में जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" से अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001 (2001 का 45) अभिप्रेत है।

(ख) "सचिव" से न्यासी समिति के सचिव अभिप्रेत है।

(ग) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(घ) शब्द और अभिव्यक्तियों जिनका इन नियमों में प्रयोग हुआ है लेकिन परिभाषित नहीं किए गए हैं उनका अर्थ वही होगा जो अधिनियम में उनको सौंपे गए हैं।

3. निधि में राशि जमा करना : 1. सचिव धारा 3 की उप धारा (2) में विनिर्दिष्ट सभी राशि को प्राप्त करेगा और राशि को अनुसूचित बैंक में न्यासी समिति के बैंक खाते में तत्काल जमा करेगा।

2. धारा 3 की उप धारा (2) के प्रत्येक खण्ड (क) से (झ) के तहत प्राप्त राशि का अलग-अलग लेखा अनुरक्षित किया जाएगा।

4. कार्यालय : उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह द्वारा अधिसूचित अनुसार न्यासी समिति का कार्यालय पोर्ट ब्लेयर में होगा।

5. लेखा का वार्षिक विवरण : न्यासी समिति फार्म 1 में आय और व्यय की वार्षिक विवरण तैयार करेगी।

6. बजट अनुमान को तैयार करना : सचिव आगामी वर्ष के आय और व्यय का बजट अनुमान तैयार करेगा जिसे प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से पहले स्वीकृति के लिए न्यासी समिति के समक्ष रखा जाएगा।

7. प्रशासनिक व्यय, भुगतान और निवेश : न्यास समिति द्वारा सभी प्रशासनिक व्यय, भुगतान और निवेश का अनुमोदन किया जाएगा। अध्यक्ष द्वारा आकस्मिक व्यय या भुगतान के सम्बन्ध में बीस हजार रुपए तक की स्वीकृति दी जा सकती है और सचिव द्वारा दस हजार रुपए तक की स्वीकृति दी जा सकेगी जिसे अगली बैठक में न्यासी समिति के समक्ष सम्पुष्टि के लिए रखा जाएगा।

8. वार्षिक रिपोर्ट : न्यासी समिति फार्म II में आने वाले वर्ष के 30 जून की समाप्ति से पिछले वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा। वार्षिक रिपोर्ट की प्रमाणीकृत प्रति अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन को अगले 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

9. बैठकें : (1) न्यासी समिति की बैठक के लिए सचिव अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से तारीख और समय निश्चित करेगा और सचिव सदस्यों को 7 दिनों पहले इसकी सूचना देगा ।

(2) अत्यावश्यक होने पर अध्यक्ष न्यासी समिति की बैठक अल्प सूचना पर बुला सकता है ।

(3) सचिव अध्यक्ष की अनुमति से न्यासी समिति के प्रत्येक बैठक की कार्यसूची तैयार करेगा और सदस्यों के बीच परिचालित करेगा ।

(4) न्यासी समिति की बैठक की कार्यवाही के लिए आवश्यक गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी ।

(5) गणपूर्ति (कोरम) के अभाव में यदि कोई बैठक स्थगित होती है तो ऐसे कार्य जिन्हें गणपूर्ति पूरी होने पर उस मूल बैठक में रखा जाता, को स्थगित बैठक के होने पर उसमें निपटाए जाएंगे ।

(6) अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में न्यासी समिति द्वारा लिए गए निर्णय पर अन्य उपस्थित सदस्य न्यासी समिति की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(7) न्यासी समिति की बैठक से रखे गए सभी मामलों का निर्णय पर उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर होगा ।

(8) अध्यक्ष या वह व्यक्ति जो बैठक की अध्यक्षता करता रहा हो को समान मतों के सभी मामलों में अपना निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

(9) कोई भी सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से किसी मामले को उठा सकता है जो कार्यसूची में शामिल न भी हो ।

(10) सचिव द्वारा बैठक का कार्यवृत्त रिकार्ड किया जाएगा और अध्यक्ष की अनुमति से सदस्यों के बीच यथा शीघ्र परिचालित करेगा ।

(11) न्यासी समिति की अगली बैठक में पिछली बैठक के अनुमोदित कार्यवृत्त को पढ़ा जाएगा और पुष्टिकरण किया जाएगा ।

(12) न्यासी समिति की बैठकें सामान्यत: कार्यालय में होगी ।

10. न्यासी समिति द्वारा रिकार्डों और रजिस्टरों का रख-रखाव :

(1) सचिव निम्नलिखित का रख-रखाव करेगा :

(i) न्यासी समिति की बैठकों का रजिस्टर और ऐसी बैठकों का कार्यवृत्त

(ii) धारा 3 की उप धारा (2) में विनिर्दिष्ट अलग-अलग शीर्षों के तहत निधि में अदा की गई राशि का रजिस्टर ।

(iii) धारा 18 के तहत अलग-अलग शीर्षों के अन्तर्गत इकट्ठा की गई राशि का रजिस्टर ।

(iv) निधि के सदस्यों का रजिस्टर ।

(v) भिन्न-भिन्न शीर्षों के तहत निधि के सदस्यों, उनके आश्रितों, नामित व्यक्तियों और कानूनी उत्तराधिकारियों को किए गए भुगतान का रजिस्टर ।

(vi) निधि के निलम्बित सदस्यों का रजिस्टर ।

(vii) निधि के उन सदस्यों का रजिस्टर जिन्होंने विधि व्यवसाय को छोड़ दिया है ।

(viii) न्यासी समिति द्वारा किए गए सभी जाँचों के रजिस्टर ।

(ix) न्यासी द्वारा नियुक्त कर्मचारियों का रजिस्टर ।

(x) दैनिक पुस्तिका ।

(xi) खाता बही ।

(xii) रोकड़ बही ।

(xiii) रसीद बुक पन्नों सहित ।

(xiv) वाऊचर फाइल ।

(xv) निर्धारित सभी फार्म ।

(xvi) प्राप्त सभी फार्मों, आवेदनों तथा अन्य दस्तावेजों का रिकार्ड ।

(xvii) न्यासी समिति द्वारा निष्पादित सभी पत्र व्यवहार और अन्य कार्यों का रिकार्ड ।

(xviii) आवश्यक रजिस्टर, फाइल और रिकार्ड ।

(2) धारा 13 की उप धारा (2) के तहत नियुक्त चार्टर्ड एकाउन्टेंट के साथ परामर्श कर न्यासी समिति द्वारा निर्धारित फार्मेट में रजिस्टरों आदि का रख-रखाव किया जाएगा ।

11. अधिवक्ताओं के संघ की मान्यता देने के लिए आवेदन : किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण में कार्यरत अधिवक्ताओं के संघ को मान्यता प्राप्त करने के लिए धारा 16 की उप धारा (1) या उप धारा (2) के तहत फार्म III मे स्टेट बार काउन्सिल को आवेदन करना होगा।

12. मान्यता : (1) स्टेट बार काउन्सिल नियम II के तहत आवेदन पर आवश्यकता पड़ने पर जाँच के बाद फार्म IV में मान्यता प्रमाणपत्र जारी कर सकता है।

(2) स्टेट बार काउन्सिल किसी न्यायालय विशेष न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण में कार्यरत अधिवक्ताओं के एक से अधिक संघों को भी मान्यता प्रदान कर सकता है।

(3) स्टेट बार काउन्सिल अधिवक्ताओं के मान्यता प्राप्त संघों की सूची तैयार करेगा और समय-समय पर अद्यतन करेगा।

13. निधि की सदस्यता के लिए आवेदन : (1) सभी अधिवक्ता धारा 18 की उप धारा (1) या उप धारा (2) के अन्तर्गत निधि के सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए फार्म V में आवेदन कर सकेगा।

(2) जिस अधिवक्ता की अधिवक्ताओं के एक से अधिक संघ में सदस्यता है वे उनमें से किसी एक से आवेदन कर सकेगा।

(3) निधि का कोई भी सदस्य, जो किसी बर्ष के लिए वार्षिक अंशदान उस बर्ष 31 मार्च से पहले अदा नहीं करता है तो निधि से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

14. निधि के सदस्य के रूप में पुनः प्रवेश के लिए आवेदन —कोई भी अधिवक्ता धारा 18 की उप धारा (7) के तहत निधि के सदस्य पुनः प्राप्त करने के लिए फार्म VI में आवेदन कर सकेगा।

15. सदस्यता का प्रमाणपत्र — न्यासी समिति फार्म VII में सदस्यता का प्रमाणपत्र जारी करेगी।

16. हटाने या निलम्बन संबंधी सूचना नहीं देने पर रकम में कमी (1) निधि का प्रत्येक सदस्य अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 26 ए के तहत स्टेट रोल से उनको हटाए जाने या व्यवसाय बंद करने की सूचना न्यासी समिति को 15 दिनों के भीतर देगा।

(2) यदि निधि का कोई सदस्य उप नियम (1) के तहत सूचना नहीं देता है तो धारा 18 की उप धारा (12) के अधीन उपयुक्त रूप से जांच करने के बाद हीं अधिनियम के अन्तर्गत उसके देय राशि में कमी की जा सकेगी और यह कमी पच्चीस प्रतिशत अधिक नहीं होगी।

17. विधि व्यवसाय की समाप्ति और भुगतान—(1) निधि का कोई भी सदस्य, उसके नामित व्यक्ति, या कानूनी उत्तराधिकारी जैसा भी मामला हो, न्यासी समिति को विधि व्यवसाय समाप्त होने की सूचना आवश्यक साक्ष्य सहित देंगे :

(2) न्यासी समिति उपयुक्त जांच के बाद जैसा वह आवश्यक समझे दावेदार को अधिनियम की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट दरों पर रकम का भुगतान सूचना प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर करेगी।

18. निधि के सदस्यों के लाभ की योजना : न्यासी समिति धारा 24 के तहत निधि के सदस्यों और उनके आश्रितों के लाभ के लिए योजनाएँ शुरू कर सकती है।

19. दावों का निपटान :

धारा 19 के तहत अनुग्रह अनुदान या धारा 24 के अधीन किसी भी योजना के अन्तर्गत कोई लाभ पाने का दावा करते हुए आवेदन का निपटान न्यासी समिति द्वारा दावे की वास्तविकता के सम्बन्ध में आश्वस्त हो जाने के बाद आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

20. स्टेट बार काउन्सिल में अपील :

(1) न्यासी समिति के किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध स्टेट बार काउन्सिल में अपील धारा 25 के तहत फार्म VIII में की जाएगी।

(2) स्टेट बार काउन्सिल अपील की सुनवाई और निपटान के लिए अपनी प्रक्रिया तैयार कर सकती है।

(3) अपील फाइल करने की तिथि से 16 दिनों के भीतर स्टेट बार काउन्सिल द्वारा इसका निपटारा कर दिया जाएगा।

21. स्टैम्प का मूल्य व आकार : (1) स्टैम्प पाँच व दस रुपए मूल्य का मुद्रित किया जाएगा।

(2) प्रत्येक स्टैम्प पर स्टेट बार काउंसिल का संप्रतीक (इम्बलेम) होगा। उस पर "द बार काउंसिल ऑफ अण्डमान एण्ड निकोबार आइलैण्ड" तथा 'अधिवक्ता' 'कल्याण निधि स्टैम्प' और रुपए में उसका मूल्य भी अंकित होगा।

22. स्टैम्प का लेखा : (1) संघ राज्य क्षेत्र का राज्य बार काउंसिल फार्म IX में स्टैम्प का लेखा-जोखा रखेगा और निम्नलिखित का भी रख-रखाव करेगा :

(1) स्टैम्प का स्टॉक दर्शाने वाला रजिस्टर
(2) स्टैम्प की बिक्री/खरीद का रजिस्टर
(3) स्टैम्प का मुद्रण/वितरण दर्शाने वाला रजिस्टर
(4) दैनिक पुस्तिका
(5) खाता बही
(6) रोकड़ बही
(7) पन्नों सहित रसीद बुक

महोदय,

मैं इस निधि के सदस्य के रूप में दाखिला के लिए आवेदन करता हूँ ।

1. आवेदक का नाम (साफ अक्षरों में) ....
2. पिता/पति का नाम ....
3. आयु तथा जन्म तिथि (साक्ष्य संलग्न करें) ....
4. पता (आवास) ....
   पिन..........................दूरभाष.............................. फैक्स..............................
5. बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकन की तारीख तथा संख्या (नामांकन प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)
6. वह तारीख जबसे अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय कर रहा है..
7. व्यवसाय का सामान्य स्थान (न्यायालय/न्यायाधिकरण/अन्य प्राधिकरण का नाम दें)..
8. अधिवक्ता संघ का नाम जिसका आवेदक सदस्य है तथा आवेदक इस अधिनियम के तहत लाभ का दावा कर रहा है..
9. किसी अवधि के दौरान व्यवसाय बन्द किया गया हो, तो उसका कारण..
10. क्या आवेदक अंशकालिक/पूर्णकालिक सेवारत है, यदि हाँ तो विवरण दें ....
11. नामित व्यक्ति(यों) का नाम तथा पता ; प्रत्येक नामित व्यक्तियों को देय राशि या शेयर..
....
12. आश्रितों का नाम, उम्र तथा अन्य विवरण ....

घोषणा

(क) मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सही है ।

(ख) मैं एतद्द्वारा अधिनियम, नियम के प्रावधानों तथा उसके अधीन जारी निर्देशों का पालन करने का वचन देता हूँ । मैं आगे यह भी घोषणा करता हूँ कि किसी भी समय इस आवेदन में दिया गया कोई भी तथ्य गलत पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध कार्रवाई हो ।

दिनांक | अधिवक्ता का हस्ताक्षर

इस प्रमाणपत्र के साथ अग्रेषित कि आवेदक इस आवेदन के कॉलम 8 में उल्लिखित अधिवक्ताओं की संघ का सदस्य है ।

दिनांक | अधिवक्ता के संघ के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव

(अधिवक्ता संघ का मुहर)

फार्म—VI

(नियम 14 देखें)

धारा 18 की उपधारा (7) के अधीन निधि के सदस्य के रूप में पुनः दाखिला के लिए आवेदन

सचिव
न्यासी समिति
..................अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह अधिवक्ता कल्याण निधि
(कार्यालय पता)

महोदय,

मैं निधि के सदस्य के रूप में दाखिला के लिए आवेदन करता हूँ ।

1. आवेदक का नाम (साफ अक्षरों में)..
2. निधि के सदस्य के रूप में दाखिला के विवरण.......................... (मूल प्रमाणपत्र संलग्न करें)
3. वार्षिक अंशदान का भुगतान न करने के कारण..
   ....
4. बकाया तथा पुन: दाखिला शुल्क भुगतान की रीति ....

घोषणा

मैं.......................................एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि ऊपर भरा गया विवरण सही तथा पूर्ण है ।

स्थान :

दिनांक : ....

आवेदक का हस्ताक्षर

फार्म VII

(नियम 15 देखें)

न्यासी समिति

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह अधिवक्ता कल्याण निधि

निधि की सदस्यता का प्रमाणपत्र

न्यासी समिति, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह अधिवक्ता कल्याण निधि प्रमाणित करता है कि अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001 की धारा 18 के अधीन श्री/श्रीमती..............................की सदस्यता स्वीकार कर ली गई है तथा उसकी सदस्यता सं. .... है, जो दिनांक... ....को न्यासी समिति के मुहर तथा मेरे हस्ताक्षर से जारी किया जाता है।

अध्यक्ष

फार्म—VIII

(नियम 20(1) देखें)

अपील का ज्ञापन

[अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001 की धारा 25 के अधीन]

दिनांक..................के ए. डब्ल्यू. एफ. अपील सं....... ....

(आवेदक का नाम तथा पता)...................................आवेदक

तथा

न्यासी समिति का नाम तथा पता..............................प्रत्यर्थी

के बीच

1. अपीलार्थी, प्रत्यर्थी न्यासी समिति के दिनांक ....
के निर्णय/आदेश के विरूद्ध यह अपील दाखिल किया है।

2. निर्णय/आदेश प्राप्ति के तारीख

3. तथ्यों का विवरण

4. अपील के आधार

5. अपील सही समय पर किया गया।

6. अपीलार्थी ने दिनांक........................को अपील के लिए पच्चीस रूपए फीस के रूप में अदा किया (भुगतान की रीति)

7. राहत का दावा

स्थान :

दिनांक : (आवेदक)

मैं .. ..एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि ऊपर भरे हुए विवरण सही व पूर्ण हैं।

संलग्नक :

1. न्यासी समिति के निर्णय/आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि।

2. पच्चीस रुपए के भुगतान प्रमाण।

फार्म— IX

(नियम 22 देखें)

दिनांक 31 मार्च का तुलनपत्र

देयता	रुपए	परिसम्पत्ति	रुपए
	कुल		कुल

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
(मुहर सहित)

ह./—
(एन. एन. झा)
उप राज्यपाल
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह

उप राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

ह./-
(विश्वनाथन नायर)
सहायक सचिव (स. क.)